बिहार सरकार

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें ।

पत्रांक– 4/STA–P3–432/2013 परि0–5589 /पटना,दिनांक–2/8/18

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि परिवहन वाहनों पर अनधिकृत रूप से लोगो, विज्ञापन, चित्र एवं लेखन का प्रदर्शन किया जाता है । बहुत सारे प्रदर्शन ऐसे होते हैं, जिसे चालक का ध्यान भटक सकता है और इससे दुर्घटना हो सकती है । इससे सड़क पर चलने वाले पदयात्री भी अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं ।

विदित हो कि बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–128 में परिवहन वाहन में निश्चित रंग की रंगाई एवं निशान लगाने पर रोक है । इस नियम में उल्लिखित है कि किसी भी परिवहन वाहन में कोई भी विज्ञापन साधन, चित्र या लेखन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा सिवाय इसके, जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके ।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 179 के तहत् ऐसे वाहनों पर शमन के रूप में Rs-500/- (पाँच सौ रूपये) या एक माह तक के कारावास या दोनों का प्रावधान है।

अतः अपने वाहनों पर से अनाधिकृत लोगो एवं नंबर प्लेट पर परिचयात्मक चिन्ह, नाम, चित्र, विज्ञापन लेखन को हटा लें । अन्यथा सुसंगत धाराओं एवं नियमों के तहत् कार्रवाई की जाएगी।

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।